

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-02/2020/पी-1/इकतीस,
प्रति,

भोपाल, /08/2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल।

विषय:- "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बाबत- श्री अशोक कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4119(2) 26/18/457 दिनांक 07.07.2020

—0—

श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हुये।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री अशोक कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के विरुद्ध कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है। श्री मिश्रा अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पदस्थ नहीं रहे।

3/ अतः उपरोक्त जानकारी एवं प्रमुख अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री अशोक कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के पक्ष में "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन
विभाग

पृ.क्रमांक एफ 19-02/2020/पी-1/इकतीस
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 24/08/2020

1. संबंधित कोषालय अधिकारी
2. संबंधित अधिकारी श्री अशोक कुमार मिश्रा, से.नि. मुख्य अभियंता (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल)
- 3/ वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
- 4/ स्टॉक पंजी।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव 24.8.20

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग